

राजस्व वाद GCMS नंबर 2022/210 बअनवान गोमाराम बनाम भगाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तागिल में जारी
हुये

26 05
26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वकूलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकूलाय ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम फतापुरा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल रकबा 4.5500 हैक्टर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	वि.वि.
1	भगाराम पुत्र वरदाराम 1/2 दाकूबेन पुत्री वरदाराम 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	128 129 130	0.01 0.05 1.074	गै.मुबेरा गै.मुबेरा चाप्र 0.95 जा.अ 0.124	— — 38.95 1.736	गुलाबी
2	जमनी देवी पत्नी गोमाराम 1/4 मांगीलाल पुत्र गोमाराम 1/4 पोकरी देवी पुत्री गोमाराम 1/4 भानाराम पुत्र गोमाराम 1/4 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	130	1.134	चा प्र 0.92 जा अ 0.214	37.72 2.996	
3	सुरेश कुमार पुत्र पकाराम 1/4 मंजु पुत्री पकाराम 1/4 पुष्पा पुत्री पकाराम 1/4 पेपी कुमारी पुत्री पकाराम 1/4 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	130	1.134	चा प्र 0.92 जा अ 0.214	37.72 2.996	नारंगी
4	नथाराम पुत्र दुआराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति सीरवी सा देह खातेदार	130	1.134	चा प्र 0.92 जा अ 0.214	37.72 2.966	आसमानी
5	सार्वजनिक प्रयोनार्थ रास्ता हेतु	130	0.014	जा अ 0.014	0.1960	बैंगनी

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। निरीक्षक भू-अभिलेख मुण्डारा से प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-05-26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपसहायक अधिकारी, बाली



करन
भूमि

डिक्री बमुकदमें इब्दाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बड़जलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादी :-

1. गोमाराम पुत्र दुआराम उम्र बालिग
2. सुरेश कुमार पुत्र पकाराम उम्र बालिग
3. मंजु पुत्री पकाराम उम्र बालिग
4. पुष्पा पुत्री पकाराम उम्र बालिग
5. पेपी कुमारी पुत्री पकाराम उम्र बालिग समस्त जातिगण सीरवी निवासीगण फतापुरा तहसील बाली जिला पाली(राज.)

प्रतिवादीगण :-

बनाम

1. भगाराम पुत्र वरदाराम उम्र बालिग
2. नताराम पुत्र दुआराम उम्र बालिग जातिगण सीरवी निवासीगण फतापुरा तहसील बाली जिला पाली
3. दाकुबेन पुत्री वरदाराम पत्नि चैनाराम उम्र बालिग जाति सीरवी हाल निवासी पिचावा तहसील सुमेरपुर जिला पाली तहसीलदार(भूमिधारी) बाली जिला पाली



राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022 / 210

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम फतापुरा पटवार हल्का गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल रकबा 4.5500 हैक्टर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	वि.वि.
1	भगाराम पुत्र वरदाराम 1/2 दाकुबेन पुत्री वरदाराम 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	128 129 130	0.01 0.05 1.074	गै.मु.बेरा गै.मु.बेरा चाप्र 0.95 जा.अ 0.124	— — 38.95 1.736	गुलाबी
2	जमनी देवी पत्नी गोमाराम 1/4 मांगीलाल पुत्र गोमाराम 1/4 पोकरी देवी पुत्री गोमाराम 1/4 भानाराम पुत्र गोमाराम 1/4 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	130	1.134	चा प्र 0.92 जा अ 0.214	37.72 2.996	हरा
3	सुरेश कुमार पुत्र पकाराम 1/4 मंजु पुत्री पकाराम 1/4 पुष्पा पुत्री पकाराम 1/4 पेपी कुमारी पुत्री पकाराम 1/4 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	130	1.134	चा प्र 0.92 जा अ 0.214	37.72 2.996	नारंगी
4	नथाराम पुत्र दुआराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति सीरवी सा देह खातेदार	130	1.134	चा. प्र. 0.92 जा. अ. 0.214	37.72 2.966	आसमानी
5	सार्वजनिक प्रयोनार्थ रास्ता हेतु	130	0.014	जा अ 0.014	0.1960	बैंगनी

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा से प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे बसबत मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-05-26 को जारी की गई

(दिनेश विश्णोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली